संख्या-21/2015/602/47-का-3/2015-13/2/2013

प्रेषक,

पी0बी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2015**

विषय- पुनर्विनियोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या-287/लेखा-आयोग/2015-2/1(29)/2013-165, दिनांक 11.03.2015 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या-596/47-3-2014-13/2/2013, दिनांक 11.04.2014 एवं शासनादेश संख्या-81/1869/47-का-3-2014-13/2/2013, दिनांक 30.07.2014, शासनादेश संख्या-15/ 2015/357/47-का-3-/2015-13/2/2013, दिनांक 12.03.2015 एवं शासनादेश संख्या-20/2015/497/47-का-3/2015-13/2/2013, दिनांक 20.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.03.2015 के द्वारा मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय में पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0-6,60,000.00, 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0-1,00,000.00, तथा शासनादेश दिनांक 20.03.2015 के द्वारा 07-मानदेय में उपलब्ध करायी गई धनराशि रू0-70,000.00, 08-कार्यालय व्यय में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0-91,000.00 एवं 29-अनुरक्षण में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0-37,23,000.00, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के निस्तारण पर रख कर व्यय किए जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

2- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-00-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-00" के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-प्रपत्र बी.एम.-9.

भवदीय

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2015/602(1)/47-का-3/2015-13/2/2013, तददिनांक-

प्रतिलिपि प्रपत्र बी.एम.9 की प्रति के साथ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वितत्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 को तीन प्रतियों में।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।